बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या–392 न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक– 11/9/14 बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा–11 सह पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद् द्वारा प्रस्तावित पटना महायोजना, 2031 के प्रयोजनार्थ, **पटना आयोजना क्षेत्र** की घोषणा के उपरान्त, आयोजना प्राधिकार का गठन करती है, जो **"पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार"** के नाम से जाना जायेगा और यह निम्नलिखित को मिलाकर गठित होगा :–

(i)	सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग	– अध्यक्ष
(ii)	मुख्य नगर निवेशक या प्रतिनिधि नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन	– पदेन सदस्य
(iii)	जिला पदाधिकारी, पटना	– सदस्य
(iv)	नगर आयुक्त, नगर निगम पटना	– सदस्य
(v)	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद दानापुर	– सदस्य
(vi)	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद खगौल	– सदस्य
(vii)	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद फुलवारीशरीफ	– सदस्य
(viii)	संयुक्त सचिव से अन्यून, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रतिनिधि	– सदस्य
(ix)	संयुक्त सचिव से अन्यून, पथ निर्माण विभाग के प्रतिनिधि	– सदस्य
(x)	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वैसे दो से अनधिक व्यक्ति जो नगर निवेशन में विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव रखते हों।	– सदस्य
(xi)	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार	– सदस्य सचिव

उपरोक्त उपकंडिका (x) एवं (xi) में वर्णित व्यक्तियों के नाम नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचित किये जाएगें।

2) इस पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार के उपाध्यक्ष की नियुक्ति तथा आयोजना प्राधिकार के कार्यालय, पदावधि एवं अन्य का अवधारण, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के सुसंगत धाराओं तथा बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के सुसंगत नियमों के आलोक में, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा, किया जायगा।

3) यह प्राधिकार अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन के लिए उक्त अधिनियम एवं नियमावली में विहित शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

12/9/14

(संदीप पौण्डरीक)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–11न०वि०मा०(आ०प्रा०)–05 / 2014 392 / न०वि०आ०वि०, पटना, दिनांक–11/9/14

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना / ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, पटना (CD के साथ) को बिहार गजट में अतिरिक्त प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि प्रकाशित गजट के 200 कॉपी कार्यालय उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाय।

11/9/14

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–11न०वि०मा०(आ०प्रा०)–05 / 2014 392 / न०वि०आ०वि०, पटना, दिनांक–11/9/14

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव लोक स्वास्थ अभियंत्रण विभाग / प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग प्रमंडलीय आयुक्त, पटना / जिला पदाधिकारी, पटना / मुख्य नगर निवेशक, बिहार, पटना / नगर आयुक्त पटना नगर निगम / विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद दानापुर / नगर परिषद खगौल / नगर परिषद फुलवारीशरीफ / नगर पंचायत फतुहा / नगर पंचायत मनेर / अंचलाधिकारी खुशरूपुर / अंचलाधिकारी मनेर / अंचलाधिकारी मसौढ़ी / अंचलाधिकारी नौबतपुर / अंचलाधिकारी फुलवारीशरीफ / अंचलाधिकारी पुनपुन / अंचलाधिकारी संपतचक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/9/14

सरकार के सचिव।

Government of Bihar
Urban Development & Housing Department

NOTIFICATION

No. 393........, UD&HD, Patna, dt.11/9/14 In exercise of the powers conferred by section-11 of the Bihar Urban Planning and Development Act, 2012 read with Rule-11 of the Bihar Urban Planning and Development Rule, 2014, the Government of Bihar, is hereby pleased to constitute the Planning Authority after declaration of Patna Planning Area for the purpose of proposed Patna Master Plan, 2031, which shall be known as "Patna Metropolitan Area Authority" and it shall be constituted consisting of the followings :-

(i).	Secretary, Urban Development & Housing Department	-Chairman
(ii).	Chief Town Planner or representative, Town and Country Planning Organization	-Ex officio
(iii).	District Magistrate, Patna	-Member
(iv).	Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Patna	-Member
(v).	Executive officer, Nagar Parishad Danapur	-Member
(vi).	Executive officer, Nagar Parishad Khagaul	-Member
(vii).	Executive officer, Nagar Parishad Phulwarisarif	-Member
(viii).	Representative of Public Health Engineering Department not below Joint Secretary	-Member
(ix).	Representative of Road Construction Department not below Joint Secretary	-Member
(x).	Persons who possess special knowledge or practical experience in town planning appointed by State Government not exceeding two	-Member
(xi).	Chief Executive officer Patna Metropolitan Area Authority	-Member Secretary

Name(s) of the persons mentioned in sub clause-(x) and (xi) noted above shall be notified by the Urban Development and Housing Department.

2) Appointment of The Vice-chairman of this Metropolitan Area Authority, and office, Terms of office and others of the planning Authority shall be determined by the Urban Development and Housing Department as per corresponding sections of the Bihar Urban Planning and Development Act, 2012. as well as corresponding rules of Bihar Urban Planning and Development Rule, 2014.

3) This Authority shall exercise its powers prescribed in the said Act and Rule for execution of its duties.

By the order of Governor,

11/9/14
Sandeep Poundrik
Secretary

Memo No.- 11N.Ni.Ma.(Aa.Pra.)–05 / 2014 393 /UD&HD/Patna, dated 11/9/14

Copy to. - Suprintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna/ E-Gazette Cell, Finance Department, Patna, Bihar with CD. for publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette.

He is requested to make available 200 copies of published Gazette for official use immediately.

11/9/14

Secretary

Memo No.- 11N.Ni.Ma.(Aa.Pra.)–05 / 2014 393 /UD&HD/Patna, dated 11/9/14

Copy to. - Principal Secretary, Public Health Engineering Department/ Principal Secretary, Road Construction Department/Divisional Commissioner, Patna/District Magistrate, Patna/ Chief Town Planner, Bihar, Patna/ Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Patna/ P.S to Hon'ble Minister, UD&HD/ P.P.S to Secretary, UD&HD/ Executive officer, Nagar Parishad Danapur/ Executive officer, Nagar Parishad Khagaul/ Executive officer, Nagar Parishad Phulwarisarif/ Nagar Panchyat Fatwah, Nagar Panchyat Maner/Circle officer Bihta/ Circle Officer Dhanaura/ Circle officer Fatwah/ Circle officer Khusrupur/ Circle officer Maner/ Circle officer Masaurhi/ Circle officer Naubatpur/ Circle officer Phulwari/ Circle officer Punpun/ Circle officer Sampat Chak for kind information and necessary action.

11/9/14

Secretary

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

—: अधिसूचना :—

सं0सं0—04/HFA-18/16 23 दिनांक— 09/01/17

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक—17.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी) प्रारंभ की गई। यह योजना बिहार राज्य के सभी नगर निकायों में लागू है।

योजना के अधीन आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका की कंडिका—2.1 में उल्लेख है कि "जनगणना—2011 के अनुसार सभी सांविधिक एवं बाद में नोटिफाई किये गये कस्बे मिशन में शामिल लेने के पात्र होंगे। नोटः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सांविधिक कस्बा जो संबंधित नगर क्षेत्र को घेरता है, के संबंध में यथा अधिसूचित नियोजित क्षेत्र को इस मिशन में शामिल करने की छूट होगी।"

नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना सं0—337/338 दिनांक—13.08.14 द्वारा बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के धारा—9 सह पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली 2014 के नियम—9 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुल—1167.04 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र को "पटना आयोजना क्षेत्र" घोषित किया गया है। इस पटना आयोजना क्षेत्र में छः शहरी प्रशासनिक इकाईयों के अतिरिक्त 575 ग्रामीण प्रशासनिक इकाईयों का क्षेत्र शामिल है। जिसका विवरण "पटना आयोजना क्षेत्र" के अधिसूचना के अनुसूची—1 पर अंकित है।

अतः वर्णित स्थिति में सम्यक् विचारोपरान्त प्रधानमंत्री आवास योजना—सबके लिए आवास (शहरी) के लिए निर्गत मार्गदर्शिका की कंडिका 2.1 में वर्णित प्रावधान के आलोक में "पटना आयोजना क्षेत्र" के सम्पूर्ण अधिसूचित क्षेत्र में "प्रधानमंत्री आवास योजना—सबके लिये आवास (शहरी)" लागू करने का निर्णय एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है। भविष्य में सक्षम प्राधिकार द्वारा अधिसूचित "पटना आयोजना क्षेत्र" में किसी भी तरह के उपांतरण एवं फेरबदल किये जाने की स्थिति में यह अधिसूचना अधिसूचित क्षेत्र मे स्वतः लागू समझा जायेगा।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह0/—
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–04 / HFA-18/16 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना / अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी0डी0 संलग्न) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए संकल्प की 200 प्रतियां विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0 / –
प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–04 / HFA-18/16 23 पटना, दिनांक– 09/01/17

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव / सरकार के सभी प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / निदेशक, बुडा / निदेशक, बुडको / सभी नगर आयुक्त, नगर निगम / नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद एवं नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/1/2017
प्रधान सचिव।